

प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर-अजमेर
दिनांक: 30.07.2026
समय : 01:00 पी.एम.

राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की विधेयक को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियाँ सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें दस वर्ष तक के कारावास, दस करोड़ रुपये तक का जुर्माना तथा दोषी ठहराए गए अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान हैं। मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के आठ जिलों में स्थाई लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया है। इन अदालतों की स्थापना फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर में की जाएगी। स्थाई लोक अदालतों के गठन से आमजन को विवादों के त्वरित और किफायती समाधान की सुविधा मिलेगी। इन अदालतों में आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को विभागों में खाली पद जल्द भरने और जनसेवा से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़े कामों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, डांग विकास कार्यक्रम, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, अटल ज्ञान केंद्र और पीएम कुसुम योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

सलूंबर के गांवडापाल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीरबाला कालीबाई राजकीय जनजातीय बालिका छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं और युवतियों को मोबाइल और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गयी। उन्हें सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने, ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी और पासवर्ड साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने की जानकारी भी दी गई।

राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन अगस्त से 13 अगस्त तक जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर रेंज मुख्यालयों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रदेश में सावन के साथ ही बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के

अनुसार पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश हुई। सर्वाधिक छह-छह सेंटीमीटर वर्षा प्रतापगढ़ जिले के अरनोद और प्रतापगढ़ में दर्ज की गई।

इसके अलावा शाहबाद और सवाई माधोपुर तहसील में चार-चार सेंटीमीटर, जबकि बांसवाड़ा के घाटोल और भूंगड़ा में तीन-तीन सेंटीमीटर बारिश हुई। श्रीगंगानगर तहसील में पांच और पीलीबंगा में चार सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में एक-एक स्थान पर भारी बरसात दर्ज की गई है तथा आगामी दिनों में भी कई इलाकों में वर्षा गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

सरकारी विद्यालयों के लिए भेजे गए दुग्ध पाउडर को अवैध रूप से बाहर ले जाने के मामले में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन-आरसीडीएफ ने सामोद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरसीडीएफ के अनुसार पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिड-डे मील के लिए उपलब्ध कराया गया दुग्ध पाउडर विद्यालय परिसर से अवैध रूप से बाहर ले जाया गया था। मामले की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आरसीडीएफ ने कहा है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर में विधिक मापविज्ञान विभाग ने पांच फर्मों का औचक निरीक्षण कर तीन फर्मों में अनियमितताएं पाए जाने पर एक लाख 57 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। निरीक्षण के दौरान गलत माप-तौल, कम मात्रा, बिना पंजीकरण पैकिंग और असत्यापित कांटे जैसी अनियमितताएं सामने आईं। विभाग ने तीन फर्मों से कुल 890 पैकेट जब्त किए। दो अन्य फर्मों में कोई अनियमितता नहीं मिली। उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और सही माप-तौल सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।